न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 64 / 2020 प्रा.पत्र

1. शंकरलाल पिता स्व. श्री उंकार जी सुथार, उम्र 77 वर्ष, निवासी ग्राम मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री अश्विनी कुमार पिता स्व. श्री उंकार जी सुथार, उम्र 73 वर्ष, निवासी ग्राम मटून तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..............प्रार्थीगण

वनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

..................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण अधिवक्ता रोशनलाल सुथार उपस्थित,

प्रतिवादी अधिवक्ता कल्पित जैन पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित ग्राम मटून पटवार मण्डल मटून तह. गिर्वा जिला उदयपुर की जमाबंदी संख्या 279 आ.स. 870, 871 किता 2 रकबा 0.3400 हेक्टेयर का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि उक्त आराजीयात के गत बन्दोबस्त नम्बर 754 मी. व 757 थे, जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 870 व 871 बने है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आराजी नम्बर 870 का रकबा 0.08.00 हेक्टेयर और आराजी नम्बर 871 का रकबा 0.2600 हेक्टेयर अंकित है। जो कि वक्त बन्दोबस्त भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा सवहन से गलत इन्द्राज हो गया हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर आराजी नम्बर 870 का रकबा 0.2600 हेक्टेयर व 871 का 0.0800 हेक्टेयर है। उक्त आराजीयात का रकबा गलत इन्द्राज होने का ज्ञान हल्का पटवारी से दिनांक 10.07.2020 को करने पर ज्ञात हुआ, उक्त संशोधन किये जाने से राजस्व रिकॉर्ड के रकबे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आयेगा, तथा उक्त संशोधन एक तरह से मानवीय भूल है जिसमें सुधार किया जाना न्याय संगत होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर आराजी नम्बर 870 का रकबा 0.2600 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 871 का रकबा 0.0800 हेक्टेयर अंकित करने का आदेश प्रदान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित प्रविष्टि दर्ज कराई जावे।

प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन सूचित किया गया, प्रकरण नाम दुरस्ती का होने से तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

गिर्वा द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पत्रांक राजस्व वी/2021/854 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा मौका पर्चा मय विस्तृत प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम मटून के आराजी नम्बर 870 एवं 871 पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। भूप्रबंध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल तो सही बनाया गया है। साबिक आराजी नम्बर 754 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का नया नम्बर 871 रकबा 0.2500 हेक्टेयर तथा आराजी नम्बर 757 व 754 मी रकबा 4 बिस्वा से नया नम्बर 870 रकबा 0.0800 हेक्टेयर बनाया गया जो सही है किन्तु बाद किश्तवार नम्बरन्दाजी के वक्त नक्शे में नम्बर जहाँ 870 आना चाहिए था वहां 871 तथा 871 की जगह 870 दर्ज हुआ जो गलत है।

अतः आराजी नम्बरान के क्षेत्रफल में परिवर्तन के बजाय नक्शे में नम्बर परिवर्तन की शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार के अधिवक्ता की बहस सूनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन कर मनन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत विस्तृत मौका रिपोर्ट से न्यायालय का निष्कर्ष है कि साबिक आराजी नम्बर 754 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा का नया नम्बर 871 रकबा 0.2500 हेक्टेयर तथा आराजी नम्बर 757 व 754 मी रकबा 4 बिस्वा से नया नम्बर 870 रकबा 0.0800 हेक्टेयर बनाया गया जो सही है किन्तु बाद किश्तवार नम्बरन्दाजी के वक्त नक्शे में नम्बर जहाँ 870 आना चाहिए था वहां 871 तथा 871 की जगह 870 दर्ज हुआ जो गलत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मटून पटवार मण्डल मटून तह. गिर्वा जिला उदयपुर की जमाबंदी संख्या 279 आ.स. 870, 871 किता 2 रकबा 0.3400 हेक्टेयर में आराजी संख्या 870 व 871 के नक्शे में आराजी नम्बर परिवर्तन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धी कर अमल दरामद करावें। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर